

16/2/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थ उपस्थित।
पैरीकाट खल्का उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार राहुवास
इस आशय की प्राप्त हुई की मौके पर अतिक्रमी
द्वारा कब्जा / अतिक्रमण हटा लिया गया है। अतः
प्रकरण की चलाने का कोई आदेश नहीं रह
जाने से अपील अपीलार्थ खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल सुमाद दीकल हाकिमल हफत दी

ओमर मुन्ना कलवर
(लालसाट (बीसा))